

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 जनवरी 2024—माघ 10, शक 1945

विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2024

क्र. 76-1504035-2023-62.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित क्रमांक 18, दिनांक 3 मई 2013 भाग 4(ग), दिनांक 15 अप्रैल 2013 में प्रकाशित क्र. एफ-3-03-2013-62 विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति बस्ती विकास नियम 2013 के नियम 5.1 के बिन्दु क्रमांक 5 में सामुदायिक/मंगल भवनों का निर्माण (निर्धारित ले-आउट अनुसार) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

पूर्व के नियम-

सामुदायिक/मंगल भवनों का निर्माण - अधिकतम राशि रु. 10.00 लाख.
(निर्धारित ले-आउट अनुसार)

संशोधन नियम-

सामुदायिक/मंगल भवनों का निर्माण - अधिकतम राशि रु. 20.00 लाख.
(निर्धारित ले-आउट अनुसार)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, सचिव.